उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-25/2023/195/52-1-2023-1684650

लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2023

<u>शुद्धि-पत्र</u>

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न जनपद लखीमपुर खीरी, हरदोई, कानपुर नगर एवं महोबा के विभिन्न विकास खण्डों में राजकीय बालिका इण्टर कालेज/जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि परियोजनाओं के निर्माण की द्वितीय किश्त की आंशिक राज्यांश/द्वितीय किश्त राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-18/2023/121/52-1-2023 दिनांक 24.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-18/2023/121/52-1-2023 दि0 24.01.2023 के प्रस्तर-4 की पंक्ति संख्या-3 व 4 में टंकण त्रुटिवश "चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक-4235-02-800-89-**"8909-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण "** अंकित हो गया है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-18/2023/121/52-1-2023 दि0 24.01.2023 के प्रस्तर-4 की पंक्ति संख्या-3 व 4 में अंकित **"**चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाशीर्षक-4235-02-800-89-**"8909-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण"** के स्थान पर **"8909-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजो का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण"** समझा/पढ़ा जाये।

4- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-195(1)/बावन-1-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत राजकीय बालिका इण्टर कालेज/जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल में उच्चीकरण तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष आदि परियोजनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, **उपरोक्त तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित कार्यदायी संस्था** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।